

आधार नंबर की डिटेल नहीं रख पाएंगी दूरसंचार कंपनियां

नई दिल्ली। दूरसंचार कंपनियां अब उपभोक्ताओं के आधार नंबर की जानकारी अपने पास नहीं रख पाएंगी और न ही उन्हें कहीं दर्शा सकेंगी। दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को नए सिम कार्ड देते या पुराने की पुष्टि करने के लिए आधार वर्चुअल आईडी विकल्प का इस्तेमाल करने को कहा है। इसके लिए उन्हें अपने सिस्टम और नेटवर्क को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। वर्चुअल आईडी सिस्टम का कार्यान्वयन एक जुलाई से किया जाएगा। दूरसंचार विभाग ने वर्चुअल आईडी को लेकर अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार यूआईडीएआई द्वारा वर्चुअल आईडी के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित बदलाव को ध्यान में रखते हुए सभी लाइसेंस धारक दूरसंचार कंपनियों को अपनी प्रणाली में उचित बदलाव करना होगा।